

## कौटिल्य का राज्य सिद्धांत और आधुनिक शासन : एक अध्ययन

कुसुम कुमारी<sup>1</sup>, प्रोफेसर राम दर्शन<sup>2</sup>

<sup>1</sup>शोधार्थी, राजनीतिराजनीतिक विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक।

<sup>2</sup>शोध निर्देशक, राजनीतिराजनीतिक विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक।

DOI: <https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i3.17>

### ARTICLE DETAILS

**Research Paper**

**Received:** 12-09-2026

**Accepted:** 18-10-2026

**Published:** 26-10-2026

**Corresponding Author:**

कुसुम कुमारी

**बीज शब्द:** कौटिल्य, राज्य सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, आधुनिक शासन, सुशासन, प्रशासनिक दक्षता, लोककल्याण।

**OPEN ACCESS**

### सारांश

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का राज्य सिद्धांत शासन, प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था, सुरक्षा तथा लोककल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य संबंधी विचारों का विश्लेषण करना तथा आधुनिक शासन व्यवस्था के साथ उनकी तुलनात्मक प्रासंगिकता को स्पष्ट करना है। अध्ययन में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत, शासक के कर्तव्य, प्रशासनिक दक्षता, राजकोषीय प्रबंधन, दंड व्यवस्था तथा प्रजाकल्याण संबंधी अवधारणाओं का विवेचन किया गया है। इसके साथ ही आधुनिक लोकतांत्रिक शासन के प्रमुख तत्वों, जैसे संवैधानिक सर्वोच्चता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधि का शासन तथा नागरिक अधिकारों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कौटिल्य के अनेक प्रशासनिक सिद्धांत वर्तमान शासन व्यवस्था के लिए उपयोगी हैं, यद्यपि प्राचीन राजतंत्र और आधुनिक लोकतंत्र की मूलभूत संरचनाओं में अंतर विद्यमान है। निष्कर्षतः कौटिल्य के विचारों को आधुनिक संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप समझकर सुशासन, प्रशासनिक जवाबदेही और लोककल्याण की अवधारणाओं को सुदृढ़ किया जा सकता है।

### प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे भारत के महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ एवं विचारक माने जाते हैं। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विचारों के माध्यम से प्राचीन भारत में एक सुदृढ़, संगठित और कुशल राज्य व्यवस्था की स्थापना के सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनकी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राज्य की संरचना, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कर प्रणाली, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति तथा शासक के कर्तव्यों का विस्तृत विवेचन मिलता है। यह ग्रंथ केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के संचालन और प्रशासन की विभिन्न समस्याओं का भी विश्लेषण करता है।

कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन उस समय विकसित हुआ, जब भारत में विभिन्न राज्यों के बीच राजनीतिक संघर्ष, सत्ता की प्रतिस्पर्धा और बाहरी आक्रमणों की चुनौतियाँ मौजूद थीं। ऐसी परिस्थितियों में एक मजबूत और व्यवस्थित राज्य की

आवश्यकता थी, जो आंतरिक शांति बनाए रखने के साथ-साथ बाहरी शत्रुओं से भी अपनी रक्षा कर सके। कौटिल्य ने इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य की शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और आर्थिक समृद्धि को विशेष महत्त्व दिया। उनका मानना था कि किसी भी राज्य की सफलता केवल शक्तिशाली शासक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके विभिन्न अंगों की कार्यक्षमता और पारस्परिक सहयोग पर भी निर्भर करती है।

### **कौटिल्य का राज्य सिद्धांत:**

कौटिल्य प्राचीन भारत के महान राजनीतिशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं कूटनीतिज्ञ थे। उन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में राज्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, न्याय, सुरक्षा तथा विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कौटिल्य का राज्य सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण आधार है। उनके अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि समाज में शांति, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और जनकल्याण सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने राज्य को एक ऐसी संस्था के रूप में देखा, जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों के जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कौटिल्य के राज्य सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण आधार सप्तांग सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य सात प्रमुख अंगों से मिलकर बनता है, जिन्हें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र कहा गया है। स्वामी से आशय राजा से है, जो राज्य का सर्वोच्च शासक होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और प्रजाहित की भावना होनी चाहिए। राजा का व्यक्तिगत हित राज्य के हित से ऊपर नहीं होना चाहिए। कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों पर बल देते हुए कहा कि प्रजा की सुख-समृद्धि में ही शासक का वास्तविक सुख निहित है। इस विचार से स्पष्ट होता है कि वे शासक को जनता के कल्याण के प्रति उत्तरदायी मानते थे।

सप्तांग सिद्धांत का दूसरा अंग अमात्य है, जिसका अर्थ मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी है। कौटिल्य ने योग्य, ईमानदार, अनुभवी तथा कुशल अधिकारियों की नियुक्ति को सफल शासन के लिए आवश्यक माना। उनके अनुसार प्रशासन में कार्यों का उचित विभाजन, अधिकारियों की निगरानी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होना चाहिए। जनपद राज्य के भू-भाग और उसकी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कृषि, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन और जनता की आर्थिक स्थिति राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। दुर्ग का अर्थ राज्य की सुरक्षा के लिए निर्मित किले तथा अन्य रक्षात्मक व्यवस्थाओं से है। कोष राज्य की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है, जिसके माध्यम से प्रशासन, सेना और जनकल्याण संबंधी कार्य संचालित किए जाते हैं। दंड से आशय राज्य की कानून व्यवस्था, न्याय और दंडात्मक शक्ति से है, जबकि मित्र का अर्थ उन सहयोगी राज्यों से है जो विदेश नीति और सुरक्षा में सहायता प्रदान करते हैं।

कौटिल्य ने राज्य की स्थिरता के लिए मजबूत प्रशासन, न्यायपूर्ण व्यवस्था और आर्थिक संसाधनों के उचित प्रबंधन को आवश्यक माना। उनका विचार था कि अपराधों पर नियंत्रण, कानून का पालन और न्याय की स्थापना के बिना राज्य में शांति बनाए रखना कठिन है। उन्होंने कर व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा इस बात पर बल दिया कि राज्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर एकत्र करने चाहिए, लेकिन कराधान ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने कृषि, व्यापार, उद्योग और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन को राज्य की आर्थिक मजबूती से जोड़ा।

कौटिल्य का राज्य सिद्धांत अपने समय की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ था, फिर भी इसके अनेक विचार आधुनिक शासन व्यवस्था के लिए प्रासंगिक दिखाई देते हैं। प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक नियोजन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, राष्ट्रीय सुरक्षा और जनकल्याण जैसे विषय आज भी शासन के महत्वपूर्ण आधार हैं। यद्यपि कौटिल्य की शासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का स्रोत जनता होती है, फिर भी उनके

सिद्धांत प्रशासन की प्रभावशीलता और शासक की जिम्मेदारी को समझने में उपयोगी हैं। इस प्रकार कौटिल्य का राज्य सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो राज्य की संरचना, कार्यप्रणाली और जनकल्याण के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

#### **अध्ययन के उद्देश्य:**

1. कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन और अर्थशास्त्र का परिचय प्रस्तुत करना।
2. कौटिल्य के राज्य सिद्धांत तथा सप्तांग सिद्धांत का विश्लेषण करना।

#### **साहित्यिक सर्वेक्षण:**

##### **नारायण, द्विजेन्द्र व श्रीमाली, कृष्ण मोहन (1998), प्राचीन भारत का इतिहास:**

यह पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास का गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है। इसमें सामाजिक संरचना और आर्थिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है। राजनीतिक विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया गया है। लेखकों ने विभिन्न स्रोतों का उपयोग करके तथ्य प्रस्तुत किए हैं। इसमें धर्म और संस्कृति का भी विश्लेषण किया गया है। कला और स्थापत्य के विकास पर भी प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक शोधार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें विषय को गहराई से समझाया गया है। ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता पर ध्यान दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण अकादमिक ग्रंथ है।

##### **डी. एन. (2000), प्राचीन भारत एक रूपरेखा:**

यह पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास का संक्षिप्त परिचय देती है। इसमें प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को सरल भाषा में समझाया गया है। सामाजिक और आर्थिक जीवन का भी उल्लेख किया गया है। लेखक ने कठिन विषयों को आसान बनाने का प्रयास किया है। यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक अध्ययन सामग्री है। इसमें इतिहास की एक स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। राजनीतिक विकास का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। सांस्कृतिक पहलुओं को भी शामिल किया गया है। यह पुस्तक आधारभूत ज्ञान के लिए उपयोगी है। यह प्राचीन भारत को समझने की अच्छी शुरुआत है।

##### **जैन, के. सी. (2002), प्राचीन भारत का इतिहास (320 ई. से 750 ई. तक):**

यह पुस्तक गुप्त एवं उत्तर-गुप्त काल के इतिहास पर आधारित है। इसमें राजनीतिक घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को विशेष रूप से समझाया गया है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी इसमें शामिल किया गया है। इस काल की कला और साहित्य का भी सुंदर वर्णन मिलता है। धर्म और धार्मिक परिवर्तन पर भी प्रकाश डाला गया है। लेखक ने ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग करके तथ्य प्रस्तुत किए हैं। यह पुस्तक उच्च अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसमें काल विशेष का गहन विश्लेषण मिलता है। यह प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है।

##### **जैन, शर्मा, माथुर (2002), भारतीय इतिहास (प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक):**

यह पुस्तक भारतीय इतिहास का व्यापक परिचय देती है। इसमें प्राचीन काल से लेकर 1200 ईस्वी तक का इतिहास शामिल है। लेखक ने राजनीतिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। सामाजिक और आर्थिक जीवन का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। विभिन्न राजवंशों की जानकारी इसमें दी गई है। सांस्कृतिक विकास को भी इसमें स्थान दिया गया है। यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए आधारभूत ज्ञान प्रदान करती है। इसमें कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाया गया है। ऐतिहासिक तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह एक उपयोगी संदर्भ ग्रंथ है।

##### **जैन, कैलाश चन्द (2011), प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास:**

यह पुस्तक प्राचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। इसमें कृषि व्यवस्था, व्यापार प्रणाली और उद्योगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। लेखक ने कर प्रणाली और राजस्व व्यवस्था को भी स्पष्ट रूप से

सम आया है। प्राचीन काल के आर्थिक जीवन की संरचना को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इसमें नगरों और व्यापारिक केंद्रों के विकास पर भी प्रकाश डाला गया है। विदेशी व्यापार और मुद्रा प्रणाली का भी वर्णन मिलता है। पुस्तक शोधार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें ऐतिहासिक तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। यह प्राचीन अर्थव्यवस्था को सम ने में मदद करती है। यह पुस्तक आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

### **आधुनिक शासन की अवधारणा:**

आधुनिक शासन का प्रमुख आधार लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त होता है और शासन की वैधता जनता की सहमति पर आधारित होती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान सर्वोच्च स्थान रखता है तथा सरकार के विभिन्न अंग अपनी निर्धारित शक्तियों और सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनका क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या तथा न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। शक्तियों का यह विभाजन शासन में संतुलन बनाए रखने और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र चुनाव, नागरिक अधिकार और राजनीतिक भागीदारी लोकतांत्रिक शासन को मजबूत बनाते हैं।

आधुनिक शासन में सुशासन की अवधारणा का विशेष महत्व है। सुशासन का अर्थ ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था से है, जो पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी, न्यायपूर्ण और जनहित पर आधारित हो। इसके अंतर्गत सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार को कम करना, निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट बनाना तथा नागरिकों को समय पर सेवाएँ उपलब्ध कराना शामिल है। जब प्रशासन जनता की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करता है और अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह रहता है, तब शासन के प्रति नागरिकों का विश्वास बढ़ता है। इसी प्रकार कानून का शासन आधुनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं है।

आधुनिक शासन का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों और वंचित समुदायों के हितों की रक्षा भी आवश्यक मानी जाती है। इसके साथ ही आर्थिक नीतियों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि विकास के अवसर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें। इस संदर्भ में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत सरकार केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाती है।

वर्तमान समय में तकनीकी विकास ने आधुनिक शासन के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे समय की बचत होती है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ती है। डिजिटल सेवाएँ, ऑनलाइन शिकायत निवारण और सूचना तक नागरिकों की पहुँच प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक हैं। हालांकि डिजिटल असमानता, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक देरी और सामाजिक विषमता जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रभावी नीतियों, जिम्मेदार प्रशासन और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।

### **कौटिल्य के राज्य सिद्धांत एवं आधुनिक शासन का तुलनात्मक अध्ययन**

कौटिल्य का राज्य सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण आधार है। कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में राज्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, न्याय, सुरक्षा और जनकल्याण से संबंधित विचारों का विस्तृत वर्णन किया है। उनके अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य आंतरिक शांति बनाए रखना, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना, आर्थिक समृद्धि

को बढ़ावा देना तथा प्रजा के हितों की रक्षा करना है। दूसरी ओर, आधुनिक शासन की अवधारणा लोकतंत्र, संविधान, सुशासन, नागरिक अधिकारों, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर आधारित है। यद्यपि कौटिल्य का राज्य सिद्धांत प्राचीन राजतंत्र की परिस्थितियों में विकसित हुआ था, फिर भी उनके अनेक विचार आधुनिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में प्रासंगिक दिखाई देते हैं।

कौटिल्य के राज्य सिद्धांत का प्रमुख आधार सप्तांग सिद्धांत है। इसके अंतर्गत स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र को राज्य के सात महत्वपूर्ण अंग माना गया है। कौटिल्य के अनुसार इन सभी अंगों का संतुलित और प्रभावी संचालन राज्य की स्थिरता तथा समृद्धि के लिए आवश्यक है। आधुनिक शासन में भी सरकार, प्रशासन, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक संसाधन, सुरक्षा व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विशेष महत्व है। हालांकि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य की शक्ति केवल शासक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि संविधान, संस्थाओं और जनता की संप्रभुता द्वारा नियंत्रित होती है। इस प्रकार कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत और आधुनिक शासन के बीच राज्य के प्रभावी संचालन तथा संस्थागत संतुलन के संदर्भ में समानता दिखाई देती है।

प्रशासन के क्षेत्र में भी कौटिल्य और आधुनिक शासन के विचारों की तुलना की जा सकती है। कौटिल्य ने योग्य, ईमानदार और कुशल अधिकारियों की नियुक्ति पर बल दिया था। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों की निगरानी, अधिकारियों की जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण को आवश्यक माना। आधुनिक शासन में भी प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन को सुशासन के प्रमुख तत्व माना जाता है। वर्तमान समय में सूचना का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण और ई-गवर्नेंस जैसी व्यवस्थाएँ प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने में सहायता करती हैं। इस दृष्टि से कौटिल्य के प्रशासनिक विचार आधुनिक प्रशासन के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

आर्थिक नीति और जनकल्याण के संदर्भ में भी दोनों व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण समानताएँ मिलती हैं। कौटिल्य ने कृषि, व्यापार, उद्योग, कर व्यवस्था और राजकोष के उचित प्रबंधन को राज्य की आर्थिक शक्ति का आधार माना। उनका विचार था कि राज्य की समृद्धि के लिए आर्थिक संसाधनों का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक शासन भी आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, सार्वजनिक सेवाओं और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर बल देता है। हालांकि आधुनिक कल्याणकारी राज्य नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को अधिक व्यापक रूप में स्वीकार करता है।

इसके बावजूद दोनों व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। कौटिल्य का राज्य सिद्धांत मुख्यतः राजतंत्र पर आधारित था, जिसमें राजा शासन का केंद्रीय अधिकारी होता था। इसके विपरीत आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में जनता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। आधुनिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, नियमित चुनाव और संवैधानिक सीमाएँ शासन को नियंत्रित करती हैं। कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए कठोर दंड तथा गुप्तचर व्यवस्था को महत्व दिया, जबकि आधुनिक लोकतंत्र में इन उपायों का प्रयोग कानून, मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रताओं की सीमाओं के भीतर किया जाना आवश्यक है।

अंततः कहा जा सकता है कि कौटिल्य का राज्य सिद्धांत और आधुनिक शासन अपने ऐतिहासिक संदर्भों में भिन्न होने के बावजूद प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा और जनकल्याण जैसे विषयों पर एक-दूसरे से जुड़ते हैं। कौटिल्य के विचार आधुनिक शासन को प्रभावी प्रशासन, संसाधनों के उचित प्रबंधन और उत्तरदायित्व के महत्व को समझने में सहायता करते हैं। हालांकि इन विचारों को आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप अपनाना आवश्यक है। इस प्रकार कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन आधुनिक शासन के अध्ययन में आज भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

**निष्कर्ष एवं सुझाव:**

आधुनिक शासन व्यवस्था लोकतंत्र, संविधान, नागरिक अधिकारों, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर आधारित है। वर्तमान समय में सरकार का उद्देश्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना भी है। कौटिल्य के प्रशासनिक विचार आधुनिक शासन के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, विशेष रूप से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, अधिकारियों की जवाबदेही, संसाधनों के उचित उपयोग और प्रभावी नीतियों के निर्माण के संदर्भ में। हालांकि प्राचीन राजतंत्र और आधुनिक लोकतंत्र की प्रकृति में अंतर है, इसलिए कौटिल्य के विचारों को वर्तमान संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप समझना आवश्यक है।

आधुनिक शासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया जाना चाहिए। सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता और ईमानदारी के आधार पर होनी चाहिए तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं का विस्तार करते समय यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और शिकायतों के समयबद्ध निवारण को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अंततः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कौटिल्य का राज्य सिद्धांत आधुनिक शासन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उनके विचारों को लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और सामाजिक न्याय के साथ समन्वित करके एक कुशल, उत्तरदायी और जनकल्याणकारी शासन व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है।

### सन्दर्भ :

- थापर, रोमिला (2001) आदिकालीन भारत की व्याख्या, अनुवादक मंगलसिंह, प्रकाशक ग्रंथ शिल्पी, नई दिल्ली 110002
- थापर, रोमिला (1997) अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, (हिन्दी), नई दिल्ली।
- थापर, रोमिला (1996) भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110002।
- दातारः, श्री विश्वनाथ रामचन्द्र सग्रहीता अनुसंधाता अनुवादक, नागर भी उदय कृष्ण (1949) कौटिलीयं अर्थशास्त्रम् जयमंगला वैदिकसिद्धान्तसंरक्षिणी पत्रिका हिन्दी भाषानुवादसहितम्, श्री गीर्वाण वाग्वर्धिनी सभा, रामघाट, वाराणसी।
- नाहर, रतिभानु सिंह, प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, प्रकाशक किताब महल, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- निर्मोही, डॉ. एस. एल. सिंह देव (2011) भारत की जातियों उद्भव एवं विकास, राधा पब्लिकेशन्स, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002।
- पाण्डेय, रजनीकान्त (2008) कौटिल्य अर्थशास्त्र में सत्ता एवं राजनीति, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली 110002।
- पाण्डेय, श्री राम तेज शास्त्री (2017) कौटिलीयः अर्थशास्त्रम्, प्रकाशन-आर्यावृत संस्कृति संस्थान, दिल्ली।
- पाण्डेय, राजबली (1976) अशोक के अभिलेख, ज्ञान मण्डल लिमिटेड, वाराणसी।
- पाण्डेय, राजबली (1976) हिन्दू संस्काराज, दिल्ली।

**Cite the Article:**

कुमारी, कुसुम, दर्शन, प्रोफेसर राम. (2026). कौटिल्य का राज्य सिद्धांत और आधुनिक शासन : एक अध्ययन. *The Research Dialogue*, 5(3), 153–159. DOI: <https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i3.17>

**Disclaimer:** The views, opinions, interpretations, analyses, conclusions, recommendations, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) bear full responsibility for the originality, accuracy, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring compliance with applicable academic and ethical standards, including those relating to plagiarism, AI-generated or AI-assisted content, copyright infringement, data fabrication or falsification, and other forms of research or academic misconduct.